न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुडामालानी / आडेल)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 124 / 2020

प्रार्थीगण :–

1. जूजा पुत्र वीरा वगैरा (8)
   जाति कलबी निवासी देवनगर, भेडाणा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. राजाराम पुत्र नाथाराम वगैरा (51)

52. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

53. शाखा प्रबन्धक SBI गुडामालानी

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित–

1. श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

–: आदेश :–

दिनांक –28|10|21

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु मेढ़बन्दी पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प **देवनगर** पेश हुई। हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा मजमेआम जानकारी ली गई। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2074–2077 सरहद मौजा देवनगर, भेडाणा के खेत खसरा नम्बर 934, 1130 रकबा क्रमशः 15–01, 1–03 बीघा कुल रकबा 16–04 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की बाड़े नहीं होने से बरसात प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की मेढ़बन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के मेढ़ स्थापित करवाने में कोई आपत्ति दलील नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को आदेशित किया जाता है **दोनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित कराते हुए, दोनों पक्षकारों की** उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा देवनगर, भेडाणा के खेत खसरा नम्बर 934, 1130 रकबा क्रमशः 15–01, 1–03 बीघा कुल रकबा 16–04 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के मेढ़ स्थापित करावें। पक्के मेढ़ स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुडामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमी[illegible]। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुडामालानी को थानाधि[illegible] गुडामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु [illegible] पालना, पालना प्रतिवेदन [illegible] प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28|10|21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय **देवनगर** में मजमेआम खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.14 10:29:33 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)

(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

(प्रशासन गावों के संग अभियान 2021)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी / आड़ेल)

क्रमांक: वाद / 2021 / ९५४ दिनांक :२८/१०/२१

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

सूजा कोरा राजाराम कोरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं. 124/20 निर्णय दिनांक :– २८/१०/२१

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम देवनगर, भेडाणा के खेत खसरा नम्बर 934 रकबा 15-01 बीघा खसरा नम्बर 1130 रकबा 1-03 बीघा खसरा नम्बर — रकबा — खसरा नम्बर — रकबा — एवं खसरा नम्बर — रकबा — की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को कमी नर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये 500/- प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी

क्रमांक: वाद / 2021 / ९५३-९५४ दिनांक :२८/१०/२१

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी गुड़ामालानी
3. हल्का पटवारी भेडाणा को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी सूजा कोरा
5. विप्रार्थी राजाराम कोरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.14 10:29:33 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी